रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 422] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 22, 2013/श्रावण 31, 1935

No. 422] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 22, 2013/SHRAVANA 31, 1935

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2013

का.आ. 565(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (समूह "क" पद) भर्ती नियम, 2009 की अनुसूची में स्तंभ 12 के अंतर्गत संयुक्त निदेशक (हिन्दी) के पद से संबंधित क्रम सं. 3 के लिए "प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती की पद्धति" से संबंधित विद्यमान प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"**प्रतिनियुक्ति :** (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के वे अधिकारी मूल काड्र या विभाग में सदृश पद धारण कर रहे है; अथवा (ख) ऐसे वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी जिनकी इस ग्रेड में पांच वर्ष की नियमित सेवा है, ऐसा न होने की स्थिति में ऐसे वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी जिनकी वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के ग्रेड में और 7500—12000 रुपये (संशोधन-पूर्व) के वेतनमान में ग्यारह वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है, उपर्युक्त दोनों शर्तों के पूरा न होने की स्थिति में ऐसे वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी जिनकी वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के ग्रेड में तथा 7500—12000 रुपये के वेतनमान में और 6500—10500 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 13 वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा है, जिसमें से वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा है"

[विभागीय वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी जिसकी इस ग्रेड में वेतन बैंड-3, 15600—39100 रुपये तथा 6600 रुपये के ग्रेड वेतन में पांच वर्ष की नियमित सेवा है, ऐसा न होने की स्थिति में ऐसा वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी जिसकी वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के ग्रेड में और

7500—12000 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में ग्यारह वर्ष की सम्मिलित सेवा है, उपर्युक्त दोनों शर्तों के पूरा न होने की स्थिति में ऐसे वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी जिनकी वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के ग्रेड में तथा 7500—12000 रुपये के वेतनमान में तथा 6500—10500 रुपये (संशोधन पूर्व) के वेतनमान में 13 वर्ष की नियमित सेवा सम्मिलित है, जिसमें से वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी के ग्रेड में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित सेवा है, पर भी प्रतिनियुक्ति हेतु विचार किए जाने वाले अभ्यर्थियों के साथ विचार किया जाएगा । यदि विभागीय वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी का इस पद पर चयन होता है तो इस पद को प्रोन्नति पर भरा गया समझा जाएगा ।]

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड्र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

[फा. सं. 1(3)/2013-का. III]

राजकुमार गोयल, संयुक्त सचिव

टिप्पण :—मूल नियम सं. सा.का.नि. 916(अ), तारीख 22 दिसम्बर, 2009 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किया गया था :

(i) सा.का.नि. 727(अ), तारीख 29 सितम्बर, 2011

(ii) सा.का.नि. 310(अ), तारीख 19 अप्रैल, 2012

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2013

G.S.R. 565(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' posts) Recruitment Amendment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics and Information Technology (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2009, against serial number 3 relating to the post of Joint Director (Hindi) under column 12, for the existing entry relating to the "Method of recruitment by promotion/deputation", the following entry shall be substituted namely :—

"**Deputation:** (a) Officers of the Central Government or the State Government holding analogous post in the parent cadre or Department; OR (b) Senior Hindi Officer having five years regular service in the grade, failing which Senior Hindi Officer having eleven years combined regular service in the grade of Senior Hindi Officer and in the pay scale of Rs. 7500-12000 (Pre-revised) failing both Senior Hindi Officer having thirteen years combined regular service in the grades of Senior Hindi Officer and in the pay scales of Rs. 7500-12000 and Rs. 6500-10500 (Pre-revised) with a minimum of three years regular service in the grade of Senior Hindi Officer"

[The departmental Senior Hindi Officer in PB-3, Rs. 15600-39100 plus Grade Pay Rs. 6600 having five years regular service in the grade, failing which Senior Hindi Officer having eleven years combined regular service in the grade of Senior Hindi Officer and in the pay scale of Rs.7500-12000 (Pre-revised) failing both Senior Hindi Officer having thirteen years combined regular service in the Grade of Senior Hindi Officer and in pay scales Rs.7500-12000 and Rs. 6500-10500 (Pre-revised) with a minimum of three years regular service in the grade of Senior Hindi Officer shall be considered alongwith those considered for deputation. In case the Departmental Senior Hindi Officer is selected for appointment, the post shall be deemed to have been filled by promotion.]

Note 1:—Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2 :—The maximum age limit for appointment on deputation (including short term contract) shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

[F. No. 1(3)/2013-Pers.III]

RAJ KUMAR GOYAL, Jt. Secy.

Note :—Principal Rules were published *vide* No. G.S.R.916(E) dated, the 22nd December, 2009 and subsequently amended *vide* notification number :

G.S.R. 727(E), dated 29th September, 2011.

G.S.R. 310(E), dated 19th April, 2012.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.